कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोतमबुद्धनगर।

पत्रांक:भ–26/सीएफओ/जीबीएन–11(जीएन) 295 दिनांक: मार्च 09 2011.

सेवा मे,

महा प्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नोएडा
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स अर्थकोन यूनिवर्सल इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जीएच–01 सेक्टर–01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट भवन निमार्ण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा के सम्बन्ध मे अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक आवेदक मैसर्स अर्थकोन यूनिवर्सल इन्फाटेक प्रा0 लि0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक:03–03–2011 के माध्यम से प्लाट न0–जीएच–01 सेक्टर–01, ग्रेटर नोएडा जनपद मे प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट भवन निर्माण के सम्बन्ध मे मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया हैं जिसके परिपेक्ष्य मे प्रस्तुत मानचित्रों एवं प्रश्नोत्तरी का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है:–

1– मानचित्रों मे भवन के सामने रोड की चोडाई 60 मी0 मानको के अनुरुप अंकित की गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते है।

2– भवन के निमार्ण हेतु कुल–65330.00 वर्ग मी का प्लाट है जिसमे 16,270.00 वर्ग मी0 पर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है भवन मे एक बेसमेन्ट के अतिरिक्त भूतल/स्टिल्ट से 14 वे 15 वे एवं 18 तल तक का 17 टावर, का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

3– भवन के 14 मंजिल टावरों की ऊँचाई–44.95 मी0, 15 वी मंजिल के टावरों की ऊँचाई–47.95 मी0 एवं 18 मंजिल के टावरो की ऊँचाई–58.60 मी0 प्रस्तावित अंकित की गई है।

4– स्टेयर केस एवं लिफट

भवन के प्रत्येक ब्लाक मे नीचे के तलो से उपरी तलो तक जाने आने के लिए प्रत्येक ब्लाक मे दो दो स्टेयर केस एवं लिफटो का प्राविधान किया गया है जीने की चौडाई 1.5 मी मानचित्रों में अंकित की गई है, किसी भी आपात स्थिति मे लिफ्ट का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

5– सैटबेक

मानचित्रों मे भवन के चारो तरफ अंकित एवं मानचित्रों मे अंकित सेटबेक को छोडा जाना अनिवार्य होगा तथा इस सम्बन्ध मे ग्रेटर नोएडा आथर्टी के नियमो एवं एन0बी0सी0–2005 के मानको का पालन किया जाना आवश्यक है जिसमे से 06 मीटर मोटरेबुल सेटबेक हार्ड सरफेस युक्त होना अनिवार्य होगा जिसे सदैव अवरोध रहित रखा जाये भवन के सैटबेक मे किसी भी प्रकार का स्थाई/ अस्थाई निमार्ण न कराया जाये।

6– जीव रक्षा के सुझाव

1. भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाये कि किसी भी अग्नि दुर्घटना के दोरान 30 एयर चेन्ज व साधारण स्थिति मे 12 चेन्ज होना आवश्यक है।
2. भवन मे रिफयूज एरिया के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–4 के क्लाज–4.12.1 से 12.3 तक दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

Earthcon Universal Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

3. यदि भवन के किसी भाग को सेन्ट्रली एयर कण्डीशन बनाया जाता है तो एयर कण्डीशन के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–4 के क्लाज–1.14 से 1.15 तक दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

4. भवन मे ट्रांसफारमर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–4 के क्लाज–सी 1.16 मे दिये गये निर्देशो का पालन किया जाय।

5. भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–4 के क्लाज–1. 12ए से एच तक दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

7–एन0बी0सी0 पार्ट–4, 2005 के मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था के सुझावः–

1– भवन मे अग्निशमन कार्यो के लिए 2,00,000 लीटर पानी की क्षमता का भूमिगत टेंक, प्रत्येक टावर की टेरिस पर 10,000 ली क्षमता के टेरिस टैंक प्रत्येक टावर की टेरिस पर उचाई के अनुसार स्थापित किया जाये। दोनो टैंको को जोडते हुए वेटराइजर कम डाउनकामर का प्राविद्यान किया जाय इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज केबिनेट स्थापित किये जाये एवं प्रत्येक होज केबिनेट मे दो दो अदद आर0 आर0 एल0 होज पाईप 15–15 मीटर व स्प्रे ब्रान्च पाइप रखे जाये।

2– भवन के समस्त टावर के लिए वेटराइजर कम डाउनकामर को सदैव पानी से प्रेशर युक्त बनाये रखने के लिए भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम के दो अदद विद्युत चालित फायर पम्प, इतनी ही क्षमता का एक–एक अदद डीजल चालित पम्प, 180 एलपीएम का विद्युत चालित जौकी पम्प स्थापित किये जाये। वेटराइजर कम डाउनकामर के नीचे व उपर की तरफ एन0आर0वी0 एवं उपर की तरफ एयर रिलीज वाल्व तथा भूतल पर फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया जाये।

3– 45 मी0 से ऊँचे टावरों के प्रत्येक तल पर मानको के अनुसार आटोमेटिक स्प्रिकंलर सिस्टम का प्राविधान किया जाये तथा सम्पूर्ण भवन के बेसमेन्ट के अतिरिक्त ए0बी0सी0 के मानको के अनुसार स्प्रिकंलर सिस्टम स्थापित कराये जाये

4– भवन के चारो और रिंग मेन डालकर उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस का प्राविघान किया जाये।

5– भवन के प्रत्येक तल पर मेनुअल आपरेटिड ईलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम व आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान मानकों के अनुसार कियां जाये जिसका मेन पैनल कम से कम 02 घण्टे की बेट्री बेकअप सिस्टम से युक्त होना आवश्यक ।

6– भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान किया जायें ताकि आपातस्थिति मे भवन के अन्दर कार्यरत लोगो को अवगत कराकर बाहर निकाला जा सके।

7– भवन के अन्दर फायर कन्ट्रोल रूम की स्थापना के लिए एन0बी0सी0–2005 के क्लॉज सी–5 मे दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

8– फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित कराये जाने अनिवार्य होगे।

9– भवन निर्माण मे एन0बी0सी0 के क्लाज 6.1" रिक्वारमेन्ट ऑफ रेजिडेन्सियल बिल्डिंग ग्रुप–ए0" के प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

10–प्रत्येक ब्लाकों के मध्य इण्टर डिसटेन्स मानकों के अनुसार रखी जाये।

11– भवन मे स्थापित करायी जानी वाली सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष व्यक्ति की देखरेख मे कराई जाये तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्निशमन अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आर्फ–2005 पार्ट–4 के क्लाज सी–6 मे दिये गये निर्देशो का पालन किया जाये।

अतः अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा की आख्या के आधार पर मैसर्स अर्थकोन यूनिवर्सल इन्फाटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जीएच–01,सेक्टर–01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट भवन के निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008, तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005, उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम–2005, एवं तत समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(महावीर सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः 1–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– मैसर्स अर्थकोन यूनिवर्सल इन्फाटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–जीएच–01, सेक्टर–01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।

Earthcon Universal Infratech Pvt. Ltd.
Authorised Signatory